पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
आपराधिक आवेदन (डी. बी.) सं. 917/2017
देसरी थाना काण्ड संख्या –146 वर्ष–2014 जिला–वैशाली से उत्पन्न

= = = =

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

= = = =

कर भाग गए। सीबीजेड मोटरसाइकिल मंटू सिंह मुखिया की है। घटना का कारण यह है कि 20 दिन पूर्व अंजनी कुमार उर्फ रौशन, तारकेश्वर सिंह उर्फ मेजर और गुड्डू सिंह उसके चाचा की बहू को उसके घर से घसीट कर हाजीपुर ले गए और विनोद कुमार सिंह पर दहेज प्रताड़ना और मारपीट का केस दर्ज कराने की कोशिश की, ताकि उसका परिवार जेल चला जाए या गांव से फरार हो जाए और उसकी जमीन हड़प कर आरोपी उस जमीन पर गली बना लें। उक्त प्लॉट तारकेश्वर सिंह के घर के सामने स्थित है। जब किसी कारणवश न्यायालय में मामला दर्ज नहीं हो सका तो दहेज अधिनियम के तहत सहदेव ओ.पी. में मामला दर्ज कराया गया। तारकेश्वर सिंह उर्फ मेजर ने सूचक के चचेरे भाई जितेन्द्र कुमार को मकान बनाने के लिए 88,000 रुपये दिये थे, लेकिन जितेन्द्र सिंह ने दस माह बाद तारकेश्वर को 90,000 रुपये लौटा दिये। इसके बाद तारकेश्वर ने बताया कि उसने मकान के सामने स्थित प्लॉट के लिए पैसा उधार दिया था। उसने आगे बताया कि या तो उस प्लॉट की रजिस्ट्री करा लें या फिर 5 प्रतिशत ब्याज सहित पैसा लौटा दें, नहीं तो उसके परिवार से किसी की हत्या कर दी जायेगी। इसी कारण उसके चाचा की हत्या की गयी है।

2.2 उपरोक्त *फर्दबयान* के आधार पर औपचारिक प्राथमिकी दर्ज करने के बाद जांच एजेंसी ने जांच शुरू की। जांच के दौरान जांच अधिकारी ने गवाहों के बयान दर्ज किए, साक्ष्य एकत्र किए और उसके बाद अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया।

2.3 यह मामला विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय था, इसलिए विद्वान दंडाधिकारी ने इसे संबंधित सत्र न्यायालय को सौंप दिया, जहां इसे सत्र परीक्षण संख्या 101/2015 के रूप में दर्ज किया गया।

2.4 मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 11 गवाहों से पूछताछ की। बचाव पक्ष ने भी 4 गवाहों से पूछताछ की। इसके बाद आरोपी का धारा 313 के तहत आगे का बयान दर्ज किया गया। मुकदमे के समापन के बाद, विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को उपरोक्त अपराधों के लिए दोषी ठहराया।

2.5 विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा के आदेश के खिलाफ, अपीलार्थी ने तत्काल अपील दायर की है।

3. श्री अजय कुमार ठाकुर, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता, श्री सुजीत कुमार सिंह, राज्य के लिए विद्वान एपीपी के साथ–साथ सूचक की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री नजमुल होदा को सुना।

4. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अजय कुमार ठाकुर ने प्रस्तुत किया कि सूचक का फर्दबयान घटना स्थल पर रात्रि 08:35 बजे दर्ज किया गया। हालांकि, अभिलेख से यह बात सामने नहीं आ

रही है कि पुलिस को घटना की सूचना किसने दी थी और किस आधार पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा दिए गए बयान से पता चलता है कि सूचक (अ.सा. 6) को छोड़कर घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है और अन्य गवाह घटना के बाद घटनास्थल पर पहुंचे। इस स्तर पर, यह प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन पक्ष उन स्वतंत्र गवाहों की जांच करने में विफल रहा है जिनकी उपस्थिति घटनास्थल पर स्वाभाविक थी, यानी वे व्यक्ति जो घटनास्थल के पास रह रहे थे।

4.1. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे दलील दी है कि स.अ.नि. अशोक कुमार सिंह ने मुखबिर का फर्दबयान दर्ज किया था। हालांकि, अभियोजन पक्ष ने उक्त गवाह से पूछताछ नहीं की है और इसलिए बचाव पक्ष को नुकसान हुआ है। यह भी दलील दी गई है कि जांच अधिकारी (अ.सा.10) बिनय कुमार सिंह, जिन्होंने जांच की थी, ने जिरह के दौरान विशेष रूप से स्वीकार किया है कि उन्होंने घटनास्थल से खून जब्त नहीं किया था और न ही उन्हें मृतक और मुखबिर के खून से सने कपड़े मिले थे। यहां तक कि मुखबिर द्वारा फर्दबयान में बताई गई दो मोटरसाइकिलों को भी जांच एजेंसी ने जब्त नहीं किया है। इस स्तर पर यह भी दलील दी गई है कि जांच अधिकारी को घटनास्थल पर चावल की कोई बोरी नहीं मिली। इसलिए अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता के खिलाफ उचित संदेह से परे मामला साबित करने में विफल रहा है। यह भी कहा गया है कि जांच अधिकारी ने घटनास्थल से एक 9 एमएम का खाली कारतूस जब्त किया है। वास्तव में उक्त कारतूस का इस्तेमाल स्वचालित हथियार में किया जा सकता है, जबकि मुखबिर/चश्मदीद गवाह के अनुसार फायरिंग पिस्तौल से की गई थी।

4.2. इसके बाद अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने डॉ. कृष्ण चंद्र (अ.सा. 7) द्वारा दिए गए बयान का हवाला दिया, जिन्होंने मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया था। यह तर्क दिया गया है कि मृतक के शरीर पर दो बाहरी चोटें पाई गई थीं। दूसरी चोट लगभग 3 इंच व्यास के उल्टे मार्जिन वाला एक कटा हुआ घाव है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि चोट संख्या 1 और 2 एक दूसरे से मेल नहीं खाती हैं। इसलिए, विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि चिकित्सा साक्ष्य तथाकथित चश्मदीद गवाह के मामले का समर्थन नहीं करता है।

4.3. इसके बाद विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि पक्षों के बीच स्वीकृत भूमि और पारिवारिक विवाद के कारण अपीलकर्ता को झूठा फंसाया गया है। इसलिए, विद्वान वकील ने आग्रह किया कि वर्तमान अपील को स्वीकार किया जाना चाहिए और दोषसिद्धि और सजा के आदेश के विवादित निर्णय को रद्द किया जाना चाहिए और अलग रखा जाना चाहिए।

5. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान ए.पी.पी. श्री सुजीत कुमार सिंह तथा सूचक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री नजमुल होदा ने इस अपील का पुरजोर विरोध किया है। विद्वान ए.पी.पी. तथा सूचक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया गया है कि सूचक ही विचाराधीन घटना का प्रत्यक्षदर्शी है। उक्त साक्षी द्वारा दिया गया बयान विश्वसनीय है तथा उक्त साक्षी को एक उत्कृष्ट साक्षी कहा जा सकता है। अभियोजन पक्ष के अन्य साक्षियों ने भी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है, जो घटना के तुरन्त बाद घटनास्थल पर पहुंचे थे। इसके अतिरिक्त, चिकित्सकीय साक्ष्य भी प्रत्यक्षदर्शी द्वारा दिए गए कथन का समर्थन करते हैं तथा मृतक के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं, जैसा कि सूचक ने बताया है। आगे प्रस्तुत किया गया है कि जांच अधिकारी को घटना स्थल पर खून भी मिला था तथा एक खाली कारतूस भी मिला था। इस प्रकार, केवल इसलिए कि जांच अधिकारी की ओर से जांच करने में कुछ कमी है, इसका लाभ आरोपी को नहीं दिया जा सकता। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि अपीलकर्ता का आपराधिक इतिहास है और उसे एक अन्य मामले में विचारण न्यायालय द्वारा दोषी भी ठहराया जा चुका है। विद्वान एपीपी और सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया कि इस अपील को खारिज किया जाए।

6. हमने पक्षों की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों पर विचार किया है, हमने अभिलेख पर रखी गई सामग्री, अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों का भी अवलोकन किया है। अभिलेख पर रखी गई सामग्री से यह पता चलता है कि अभियोजन पक्ष ने 11 गवाहों की जांच की है। बचाव पक्ष ने भी 4 गवाहों की जांच की है।

7. अ.सा.1, जितेन्द्र कुमार सिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना दिनांक 11.06.2014 को घटित हुई थी। विनोद कुमार सिंह उनके चाचा थे। वे सूर्यमणि सिंह के साथ मोटरसाइकिल से चावल खरीदने गुरु चौक गए थे। जब वे लौट रहे थे और कालिका सिंह के दरवाजे के सामने पहुंचे तो रौशन सिंह और तारकेश्वर सिंह सीबीजेड मोटरसाइकिल से वहां आए। तारकेश्वर सिंह मोटरसाइकिल चला रहे थे और रौशन कुमार सिंह ने अपने चाचा पर गोली चला दी और उनके चाचा की मृत्यु हो गई। उनके चाचा की हत्या भूमि विवाद के कारण हुई थी।

7.1 जिरह के दौरान उक्त गवाह ने कहा है कि विनोद कुमार सिंह और तारकेश्वर सिंह के बीच भूमि विवाद चल रहा था। उनके चाचा की रौशन कुमार सिंह से कोई दुश्मनी नहीं थी। शोर सुनकर जब वे घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्होंने अपने चाचा को मृत अवस्था में देखा। जब वे घटनास्थल पर पहुंचे तो उनके पिता, चाचा और अन्य ग्रामीण मौजूद थे। वे मृतक को अस्पताल नहीं लाए। पुलिस ने घटना के एक दिन बाद शाम करीब चार बजे उसके दरवाजे पर उसका बयान दर्ज किया। पुलिस ने घटनास्थल पर उसकी

मौजूदगी में किसी का बयान दर्ज नहीं किया। वे पुलिस के साथ शव को लेकर सदर अस्पताल, हाजीपुर आए। घटनास्थल के आसपास करीब 15–20 घर हैं। घटनास्थल पर रमेश सिंह, राजेश्वर सिंह, टुनटुन सिंह, शंभू सिंह व अन्य लोग पहुंचे।

8. अ.सा.2 परमेश्वर कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना दिनांक 11.06.2014 को घटित हुई थी। वह अपने गांव स्थित दुर्गा मंदिर के पास था। शाम के 7 बजे थे। गोली चलने की आवाज सुनकर वह मौके पर गया तो देखा कि तारकेश्वर सिंह मोटरसाइकिल चला रहा था तथा अंजनी कुमार उर्फ रौशन उसके पीछे बैठा था। अंजनी कुमार ने विनोद सिंह पर गोली चला दी। गोली लगने से विनोद सिंह सड़क पर गिर पड़ा। गोली विनोद की दाहिनी आंख के ऊपरी हिस्से में लगी और उसकी मृत्यु हो गई। घटना भूमि विवाद के कारण घटित हुई।

8.1 जिरह के दौरान इस साक्षी ने कहा है कि पुलिस ने उसका बयान दिनांक 28.06.2014 को घटनास्थल पर दर्ज किया था। उसका बयान सुबह 10 बजे घटनास्थल पर दर्ज किया गया। घटनास्थल पर बिपिन कुमार और विजय सिंह भी मौजूद थे। जब वह घटनास्थल पर पहुंचे तो वहां 100 लोग मौजूद थे। शव खून से लथपथ था। जमीन पर भी खून फैला हुआ था। इस गवाह ने पुलिस के समक्ष यह नहीं बताया था कि गुड्डू सिंह का घर घटनास्थल के ठीक सामने था और वह वहीं खड़ा होकर फोन पर बात कर रहा था। उसने यह भी नहीं बताया था कि हत्या के बाद वह अपने घर में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। उसने यह भी नहीं बताया था कि गुड्डू सिंह निर्दोष है। उसने पुलिस के समक्ष यह बताया था कि विनोद सिंह और तारकेश्वर सिंह के बीच जमीन का विवाद चल रहा था। उसने पुलिस के समक्ष यह नहीं बताया था कि सूर्यमणि ने उसे बताया था कि अंजनी उर्फ रौशन ने गोली चलाई है। उसके पहुंचने के बाद सूर्यमणि उर्फ छोटू और कई लोग भी वहां पहुंचे थे।

9. अ.सा. 3, सतेन्द्र सिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बयान दिया है कि घटना दिनांक 11.06.2014 को लगभग 07:00 बजे शाम को हुई थी। उस समय वह गांव की सड़क पर चल रहा था। सूर्यमणि मोटरसाइकिल पर गुरु चौक से आ रहा था और पीछे चावल की बोरी रखी थी। जब वे काली सिंह के घर के सामने पहुंचे तो एक अन्य सी.बी.जेड. मोटरसाइकिल ने उन्हें ओवरटेक किया और रौशन कुमार सिंह ने विनोद सिंह पर गोली चला दी। सी.बी.जेड. मोटरसाइकिल तारकेश्वर सिंह चला रहा था। विनोद सिंह की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। इस गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में यह भी बयान दिया कि पुलिस आई और जांच रिपोर्ट तैयार की और उसने उस पर हस्ताक्षर भी किए। घटना का कारण भूमि विवाद है।

9.1 जिरह के दौरान अ.सा.3 ने बताया कि पुलिस 09:00 बजे रात्रि में आई तथा 09:30 बजे जांच रिपोर्ट तैयार की। पुलिस ने जांच रिपोर्ट में उल्लेख किया था कि कपड़े में खून तथा छेद पाया गया था। इस साक्षी ने भी अपनी जिरह में बताया कि विनोद कुमार सिंह उसका भाई था। रौशन उर्फ अंजनी का उसके चाचा से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। मोटरसाइकिल सड़क के बायीं ओर गिरी थी। सूर्यमणि कुमार के शर्ट पर पीछे खून लगा था। जमीन पर 3–4 फीट व्यास में खून मिला। विनोद कुमार सिंह का शरीर खून से लथपथ था। घटनास्थल पर काफी लोग एकत्रित हो गए थे। उनके पहुंचने के बाद परमेश्वर कुमार, जितेन्द्र कुमार, रघुवंश प्रसाद सिंह, रंजीत कुमार सिंह, विजय कुमार सिंह आदि घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने मोटरसाइकिल जब्त नहीं की थी।

10. अ.सा. 4, विजय कुमार सिंह ने घटना की तारीख और समय के बारे में अपने मुख्य परीक्षण में इसी लाइन पर गवाही दी है। इस गवाह ने आगे यह भी गवाही दी कि वह महनार से अपने घर लौट रहा था। जब वह कालिका सिंह के दरवाजे पर पहुंचा, तो उसने देखा कि सूर्यमणि मोटरसाइकिल चला रहा था और विनोद सिंह उसके पीछे बैठा था और वे अपने घर की ओर जा रहे थे। उसने आगे यह भी गवाही दी कि तारकेश्वर एक अन्य सीबीजेड मोटरसाइकिल चला रहा था और अंजनी उर्फ रौशन पीछे बैठा था। तारकेश्वर ने सूर्यमणि की मोटरसाइकिल को ओवरटेक किया और अंजनी उर्फ रौशन ने विनोद सिंह पर गोली चला दी जो उसकी दाहिनी आंख के ऊपरी हिस्से में लगी जिससे उसकी मौत हो गई।

10.1 जिरह के दौरान इस साक्षी ने बताया कि पुलिस रात 9:00 बजे घटनास्थल पर आई थी। पुलिस ने उसकी मौजूदगी में जांच रिपोर्ट तैयार की। शव के पास से वोटर आईकार्ड, पैसे और चश्मा बरामद हुआ और वह यह नहीं कह सकता कि पुलिस ने बरामद सामान की जब्ती सूची तैयार की। उसका बयान 12 तारीख को शाम 5:00 बजे घटनास्थल पर पुलिस के समक्ष दर्ज किया गया। उसके बयान दर्ज करने से पहले सत्येंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह, विपिन, परमेश्वर आदि के बयान दर्ज किए गए। जमीन पर खून भी गिरा था। इस साक्षी ने जिरह में आगे बताया कि वह यह नहीं कह सकता कि अंजनी उर्फ रौशन की विनोद कुमार से व्यक्तिगत दुश्मनी थी। अंजनी और उसके बीच कोई दुश्मनी नहीं है। सूर्यमणि के कपड़े पर पीछे की तरफ खून मिला था। विनोद सिंह का सिर दक्षिण दिशा में और पैर उत्तर दिशा में था। उन्होंने इस बात से इंकार किया है कि उन्होंने पुलिस के समक्ष कहा था कि जब वह अपने घर पर थे, तो सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंचे और विनोद कुमार को मृत अवस्था में देखा।

11. अ. सा. 5, बिपिन कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में बताया कि वह अपनी दुकान से अपने घर समय पर लौट रहा था और जब वह काली सिंह के घर के पास पहुंचा तो उसने एक सी. बी. जेड.

मोटरसाइकिल देखी जिसे तारकेश्वर कुमार चला रहा था और अंजनी कुमार पीछे बैठा था। उन्होंने विनोद सिंह की मोटरसाइकिल को ओवरटेक किया और उन पर गोलियां चला दीं। विनोद सिंह की मोटरसाइकिल उनके भतीजे सूर्यमणि चला रहे थे।

11.1 जिरह के दौरान उक्त गवाह ने कहा कि वह इस मामले के मुखबिर सूर्यमणि सिंह को जानता है। घटना के एक दिन बाद पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया। उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने पुलिस के सामने यह नहीं कहा था कि वह अपनी दुकान से अपने घर लौट रहे थे और जब वह काली सिंह के घर के पास पहुंचे तो, उसने देखा कि तारकेश्वर सिंह मोटरसाइकिल चला रहा था और अंजनी कुमार पीछे बैठा हुआ था और उन्होंने विनोद सिंह की मोटरसाइकिल को पीछे छोड़ दिया और उस पर गोली चला दी और विनोद सिंह की गोली लगने से मौत हो गई। इस गवाह ने अपनी जिरह में आगे कहा कि अंजनी एक शूटर है और उसने उसे धमकी भी दी। जब वह लखन साह की दुकान से लौटने लगे तो उन्हें गोली चलने की आवाज सुनाई दी। विनोद के शरीर पर खून पाया गया।

12. इस मामले का सूचक अ.सा. 6 सूरजमणि कुमार सिंह उर्फ छोटू है। इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में बताया है कि घटना दिनांक 11.06.2014 को शाम 06:45 बजे घटित हुई। वह अपने चाचा विनोद कुमार सिंह के साथ गुरु चौक से मार्केटिंग कर अपने घर लौट रहा था। वह मोटरसाइकिल चला रहा था तथा उसके चाचा पीछे बैठे थे। जब वे काली सिंह के घर के पास पहुंचे तो तारकेश्वर सिंह ने उनकी मोटरसाइकिल को ओवरटेक किया तथा रौशन कुमार सिंह ने विनोद सिंह पर गोली चला दी जो उसके दाहिने आंख के मध्य भाग में लगी। गोली लगने से विनोद सिंह गिर पड़ा तथा 1–2 मिनट के अंदर उसकी मृत्यु हो गई। तारकेश्वर सिंह तथा रौशन सिंह काले रंग की सीबीजेड मोटरसाइकिल पर थे जो शिव कुमार मंटू सिंह की थी। अभियुक्तों ने मोटरसाइकिल मुखिया जी के दरवाजे पर खड़ी कर दी तथा भाग गए। दरोगा जी अर्थात अशोक कुमार घटनास्थल पर आये और अपना बयान दर्ज कराया। उनके पिता स्व. रघुवंश सिंह भी वहां मौजूद थे और उन्होंने भी अपना हस्ताक्षर किया। उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। पुलिस ने अगले दिन दोपहर 2:30 बजे उनका पुनः बयान दर्ज किया। जब पुलिस ने उनका बयान दर्ज किया, उसी समय पुलिस ने जांच रिपोर्ट भी तैयार कर ली थी और उन्होंने उस पर हस्ताक्षर भी कर दिये थे।

12.1. उक्त साक्षी अर्थात सूचक ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि उसने अभियुक्त की मोटरसाइकिल देखी है, लेकिन उसका नम्बर नहीं जानता। पुलिस उस मोटरसाइकिल को जब्त नहीं कर सकी। एस.आई. अशोक कुमार सिंह अभी जीवित हैं। पुलिस ने मोटरसाइकिल, बोरा व पॉलीथिन जब्त नहीं किया। गोली लगने से उसके चाचा जमीन पर गिर पड़े तथा खून भी जमीन पर गिरा था। उसकी

मोटरसाइकिल अभियुक्त की मोटरसाइकिल से आगे थी तथा उन्होंने मेरी मोटरसाइकिल को ओवरटेक कर गोली चलाई। शूटर ने सामने से गोली चलाई। गोली चलाने के समय उसका वाहन रुका हुआ था। अभियुक्तों ने भी अपना वाहन खड़ा करने के बाद गोली चलाई। अभियुक्तों की उससे या उसके चाचा से कोई दुश्मनी नहीं थी। मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है।

13. अ.सा. 7, अर्थात डॉ. कृष्ण चंद्र वह डॉक्टर हैं जिन्होंने मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया है। डॉक्टर ने निम्नलिखित मृत्युपूर्व चोटें पाईं:

(1) सिर में लगभग 1" व्यास का एक गोल घाव, जिसके किनारे मुड़े हुए थे, दाहिनी आँख की भौंह के अंदरूनी हिस्से में कालापन और जलन थी।

(2) लगभग 3" व्यास का एक घाव, जिसके किनारे उल्टे थे, बाएँ कान के ठीक नीचे ओसीसीपिटल हड्डी के बाईं ओर देखा गया।

– गर्दन, छाती, पेट पर कोई बाहरी चोट नहीं पाई गई

(3) विच्छेदन पर – सिर में – खोपड़ी की हड्डियाँ टूट जाती हैं और मेनिन्जेस और मस्तिष्क के ऊतकों में दरार आ जाती है।

एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा जिसका आकार लगभग 1" x 1" था, दाहिने ऑक्सिपिटल बालों में फंसा हुआ था।

गर्दन की मांसपेशियाँ– अविकृत

छाती – फेफड़े और प्लूरा अक्षुण्ण

हृदय – सभी कक्ष खाली

पेट के अंग – अक्षुण्ण

पेट – कुछ पचे हुए कणों से भरा हुआ

छोटी आंत में अर्ध–पचा हुआ भोजन और बड़ी आंत में दुर्गंधयुक्त द्रव और गैस है।

निजी अंग – कोई असामान्यता नहीं पाई गई

कोई गोली नहीं मिली

राय – मेरी राय में मृत्यु का कारण ऊपर उल्लिखित खोपड़ी और मस्तिष्क की चोटों के कारण हुआ है ।

13.1. डॉक्टर ने अपनी जिरह में कहा है कि मृतक के किसी भी रिश्तेदार द्वारा शव की पहचान नहीं की गई थी। आग्नेयास्त्र आम तौर पर दो चोटों का कारण बनते हैं–एक निकास घाव और एक प्रवेश घाव। उन्होंने प्रवेश घाव और निकास घाव के बारे में विशेष रूप से नहीं लिखा है, लेकिन दोनों घाव मौजूद थे।

14. अ.सा. 8 शिव कुमार हैं जिन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में बयान दिया है कि वे एस. आई. अशोक कुमार सिंह को जानते हैं। अशोक कुमार सिंह ने 11.06.2014 को जाँच रिपोर्ट तैयार की है।

14.1. अ.सा. 8 ने अपनी जिरह में कहा है कि वह एक मामले के सिलसिले में अपने रिश्तेदार के घर गया था। उसे मामले की संख्या याद नहीं है। यह सच नहीं है कि उन्होंने गलत गवाही दी है।

15. अ. सा. 9 निर्भय कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बयान दिया है कि दिनांक 19.06.2014 को वह सहदेई (ओ.पी.) के प्रभारी के रूप में पदस्थापित थे। उन्होंने दिनांक 19.06.2014 को बिनय कुमार सिंह से देसरी थाना कांड संख्या– 146/2014 की जांच का प्रभार लिया। उन्होंने अंजनी उर्फ रौशन, तारकेश्वर सिंह उर्फ मेजर और गुड्डू सिंह के घरों पर छापेमारी की। वे फरार पाये गये। उन्होंने दिनांक 28.06.2014 को स्वतंत्र गवाह परमेश्वर कुमार उर्फ पंचम का बयान दर्ज किया और इस गवाह ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया। दिनांक 26.08.2014 को अंजनी उर्फ रौशन ने थाने में आत्मसमर्पण कर अपना अपराध स्वीकार किया। अंजनी उर्फ रौशन ने बताया कि उसने पिस्तौल गंगा में फेंक दी है। उसके खिलाफ आपराधिक पृष्ठभूमि पायी गयी। उन्होंने एएसआई अशोक कुमार की लिखावट और हस्ताक्षर की पहचान की। जब्ती सूची एएसआई अशोक कुमार की लिखावट और हस्ताक्षर में है।

15.1. अ.सा.9 ने अपनी जिरह में कहा है कि उसने सूचक का पुनः कथन दर्ज किया है। उसने घटनास्थल का निरीक्षण नहीं किया है। उसने एक स्वतंत्र गवाह परमेश्वर कुमार का बयान दर्ज किया है। उसने घटनास्थल का निरीक्षण किए बिना सूचक का पुनः कथन दर्ज किया है। उसने अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज किए हैं। इस गवाह ने अपनी जिरह में कहा है कि परमेश्वर ने अपने बयान में कहा था कि जब वह वहां पहुंचा तो विनोद सिंह मृत पड़ा था। छोटू उर्फ सूर्यमणि ने बताया कि अंजनी ने गोली चलाई।

16. अ.सा.10 विनय कुमार सिंह हैं, जिन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में यह बयान दिया है कि दिनांक 12.06.2014 को वे सहदेई ओ.पी. (थाना देवकी) में पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर पदस्थापित थे। दिनांक 12.06.2014 को उन्होंने मामले की जांच का कार्यभार संभाला। उन्होंने मृतक विनोद कुमार के पास से चश्मा, वोटर आई–कार्ड, बिहार, पहचान पत्र, खैनी (तंबाकू) और एक 9 मिमी का खाली कार्ट्रिज बरामद किया। उन्होंने उपरोक्त वस्तुओं की जब्ती सूची तैयार की। खाली कारतुस मलखाना में जमा किया गया और अन्य सामान मृतक के भाई को सौंप दिया गया। उन्होंने सूचक का बयान दर्ज किया। उन्होंने रघुवंश सिंह का बयान दर्ज किया। इस गवाह ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। सड़क के बीच में खून के निशान हैं। इस स्थान पर, मृतक को अपीलार्थी द्वारा मार दिया गया था। उन्होंने सत्येंद्र सिंह का बयान दर्ज किया है। इस गवाह ने जितेंद्र कुमार सिंह, रमेश सिंह, विजय कुमार, अनिल कुमार, बिपिन सिंह, मुखिया

शिव कुमार, कालिया सिंह, रंजीत, कामाख्या नारायण सिंह, मंजीत सिंह और अरविंद सिंह के बयान भी दर्ज किए।

16.1. अ.सा.10 ने अपने जिरह में कहा है कि जितेन्द्र सिंह ने अपने बयान में कहा है कि दिनांक 11.06.2014 को शाम 07:15 बजे सूर्यमणि दौड़ता हुआ आया और बताया कि अंजनी कुमार उर्फ रौशन ने उसके चाचा पर गोली चलाई, जब वह और उसका चाचा मोटरसाइकिल से आ रहे थे, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इस साक्षी ने आगे कहा है कि सत्येन्द्र सिंह ने कहा है कि दिनांक 11.06.2015 को सायं 07:15 बजे जब वह अपने घर पर था, सूर्यमणि कुमार उर्फ छोटू ने उसे बताया कि अंजनी कुमार उर्फ रौशन ने उसके चाचा पर गोली चलाई, जब वह और उसका चाचा मोटरसाइकिल से आ रहे थे, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इस साक्षी ने अपने जिरह में आगे कहा है कि विजय कुमार ने अपने बयान में कहा है कि दिनांक 11.06.2014 को घटना के समय वह महनार से लौट रहा था। जब वह अपने घर पहुंचा तो सूचना पाकर घटनास्थल पर गया तो देखा कि विनोद कुमार सिंह सड़क पर मृत पड़ा था। उसने सूचक से पूछताछ की तो सूचक ने उसे पूरी बात बताई। इस साक्षी ने जिरह में आगे कहा कि विजय कुमार ने उसके समक्ष अपने बयान में कहा था कि तारकेश्वर से जमीन का विवाद चल रहा था। बिपिन सिंह ने अपने बयान में कहा था कि घटना की सूचना पाकर जब वह घटनास्थल पर पहुंचा तो उसे सूर्यमणि कुमार उर्फ छोटू ने बताया कि वह चावल आदि खरीदकर मोटरसाइकिल से अपने चाचा मृतक विनोद कुमार सिंह के साथ अपने गांव लौट रहा था। इस साक्षी ने जिरह में आगे कहा कि सूचक सूर्यमणि के पुनर्कथन में यह नहीं बताया गया कि रौशन कुमार सिंह ने उसके चाचा के दाहिने आंख के मध्य भाग में गोली मारी थी। अ.सा.10 ने आगे कहा है कि उसने वह मोटरसाइकिल जब्त नहीं की जिससे गोली चलाई गई थी। उन्होंने उस मोटरसाइकिल के बारे में पूछताछ नहीं की जिससे फायरिंग की गई थी। घटनास्थल पर खून मिला था। उन्होंने खून को जब्त नहीं किया। मृतक के कपड़े जब्त नहीं किए गए। सूचक सूर्यमणि ने अपना कपड़ा उन्हें नहीं दिया। तथाकथित घटना के समय सूचक द्वारा पहने गए कपड़े न तो उन्हें सौंपे गए और न ही उनके द्वारा जब्त किए गए। चंदेश्वर सिंह और उमेश का घर घटनास्थल के पास पूर्वी दिशा में स्थित है। उन्होंने बयान नहीं दिया। अशोक सिंह और प्रेम चंद सिंह का घर पश्चिमी दिशा में स्थित है। उन्होंने उनका बयान दर्ज नहीं किया। उन्होंने अरविंद का बयान दर्ज किया है।

17. अ.सा. 11, अर्जुन कुमार एक अधिवक्ता क्लर्क है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में यह बयान दिया है कि सूचक सूर्यमणि कुमार ने जांच अधिकारी के खिलाफ विरोध याचिका दायर की थी, जिसे अनिल नामक व्यक्ति ने टाइप किया था और सूर्यमणि कुमार उर्फ छोटू ने उस पर हस्ताक्षर किए थे।

18. जैसा कि ऊपर बताया गया है, बचाव पक्ष ने 4 गवाहों से भी पूछताछ की है। डी.डब्लू.1 हरेराम सिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बयान दिया है कि 11.06.2014 को वे पी.एम.सी.एच., पटना गए थे। अंजनी सिंह की पत्नी पी.एम.सी.एच., पटना में भर्ती थीं। अंजनी सिंह इस मामले में अभियुक्त हैं। राज किशोर, अनिरुद्ध सिंह, संजय सिंह, चंद्र प्रकाश सिंह, सुबोध सिंह, अनिल सिंह और अरविंद सिंह वहां मौजूद थे। अनिल सिंह भी उनके साथ गए थे। अंजनी सिंह पूरे समय उनके साथ थीं। अंजनी सिंह ने अस्पताल में अपनी पत्नी की देखभाल की। अंजनी की पत्नी की मृत्यु 09.07.2014 को हो गई। इस गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में यह अंतिम बयान दिया है कि घटना के समय अंजनी सिंह पी.एम.सी.एच. में थे।

18.1. इस गवाह ने अपनी जिरह में कहा है कि उसे देसरी थाना कांड संख्या 99/2014 में आरोपी नामित किया गया है और वह जमानत पर नहीं है, जबकि पुलिस अधीक्षक ने उसे अपनी प्रयवेक्षण में निर्दोष पाया है। उसके खिलाफ जांच चल रही है। उनके पास इस बात का कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है कि वे उपरोक्त तिथि को पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल गए थे। अंजनी के विरुद्ध वर्तमान मामले के अलावा एक और मामला दर्ज है।

19. डी.डब्लू.2 राज किशोर सिंह है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में यह बयान दिया है कि वह पाकुड़ जिले में रहता है। दिनांक 11.06.2014 को वह पी.एम.सी.एच., पटना गया था। अंजनी की पत्नी बीमार थी तथा वह पी.एम.सी.एच., पटना में भर्ती थी। वह उसके इलाज के लिए पैसे देने वहां गया था। वहां अंजनी, सुबोध, अनिरुद्ध, मंडल आदि मौजूद थे। अंजनी की पत्नी की मृत्यु 09.07.2014 को हो गई थी। बाद में उसे पता चला कि किसी ने विनोद सिंह की हत्या कर दी है और अंजनी सिंह को फंसाया गया है। इस गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में यह भी कहा कि अंजनी का विनोद सिंह की हत्या से कोई लेना–देना नहीं है। घटना की तारीख को अंजनी अपनी पत्नी के साथ पी.एम.सी.एच. में था।

19.1. डी.डब्लू.2 ने अपनी जिरह में कहा है कि अंजनी (आरोपी) उसका भतीजा है। उसके पास 11.06.2014 को पी.एम.सी.एच. में उसकी उपस्थिति के बारे में कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है। उसके पास यह साबित करने के लिए भी कोई दस्तावेज नहीं है कि उसने अंजनी को पैसे दिए थे। जब वह पी.एम.सी.एच. पहुंचा तो उसके गांव के 4–5 लोग वहां मौजूद थे। उसे पता है कि अंजनी के खिलाफ मौजूदा मामले के अलावा एक और मामला भी है। ऐसा नहीं है कि उसने झूठी गवाही दी है क्योंकि वह अंजनी का चाचा है।

20. डी.डब्ल्यू.3 दिनेश कुमार हैं जिन्होंने अपने मुख्य ट्रायल में कहा है कि 11.06.2014 पर वे पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल गए थे। वह शाम को पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुँच गया।

वह अंजनी और उसकी पत्नी से पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मिला। वह अंजनी और उसकी पत्नी के अलावा राजकिशोर सिंह, हरेराम सिंह और अनिल सिंह से भी मिला। अंत में, अंजनी की पत्नी की मृत्यु 09.07.2014 को हुई।

20.1. डी. डब्ल्यू. 3 ने अपनी जिरह में कहा है कि अंजनी उसका ग्रामीण है। घटना के बाद, उसने एस. पी. या पुलिस स्टेशन को यह जानकारी नहीं दी कि घटना की तारीख को अंजनी उसके साथ पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में थी। उन्होंने दारोगा जी को बयान नहीं दिया। मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मैं पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में गया और अंजनी को पैसे दिए।

21. डी. डब्ल्यू. 4 आमोद कुमार सिंह हैं, जिन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में गवाही दी है कि वे पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल दिनांक–11.06.2014 को गए थे, जहाँ अंजनी की पत्नी का इलाज चल रहा था। अंजनी और अन्य लोग वहाँ मौजूद थे। अस्पताल में उन्हें जानकारी मिली कि विनोद सिंह की मौत हो गई है। यह भी गवाही दी गई कि कहा जाता है कि अंजनी को गलत तरीके से फंसाया गया था।

21.1. डी. डब्ल्यू. 4 ने अपनी जिरह में कहा है कि विनोद सिंह की मृत्यु की सूचना मिलने के बाद वह अपने गांव आया था। वह अंजनी के मोबाइल नंबर का खुलासा नहीं कर सकता। उसके पास यह दिखाने के लिए कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है कि वह 11.06.2014 को पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल गया था। उसने एस. पी. या स्थानीय पुलिस को यह नहीं लिखा कि अंजनी विनोद की हत्या में शामिल नहीं है। आरोपी अंजनी उसका भतीजा है। यह सच नहीं है कि उसने गलत तरीके से गवाही दी है क्योंकि वह उसका चाचा है।

22. हमने अभियोजन और बचाव पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की पुनः मूल्यांकन की है। अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अवलोकन से यह पता चलेगा कि अ.सा. 6 सूचक है , जो विचाराधीन घटना का चश्मदीद गवाह है। उक्त गवाह ने विशेष रूप से बयान दिया है कि जब वह अपने चाचा विनोद कुमार सिंह के साथ मोटरसाइकिल पर बाजार से लौट रहा था, तो सह–आरोपी तारकेश्वर सिंह के साथ अपीलकर्ता भी मोटरसाइकिल पर आया था। उक्त मोटरसाइकिल तारकेश्वर चला रहा था। जब मुखबिर और उसके चाचा काली सिंह के घर के पास पहुंचे तो तारकेश्वर सिंह ने उनकी मोटरसाइकिल को ओवरटेक कर लिया और रौशन कुमार सिंह ने विनोद सिंह पर गोली चला दी जो उनकी दाहिनी आंख के बीच के हिस्से में लग गई। विनोद सिंह गोली लगने से गिर गए और 1 से 2 मिनट के भीतर उनकी मौत हो गई। तारकेश्वर सिंह और रौशन सिंह काले रंग की सीबीजेड मोटरसाइकिल पर थे जो शिव कुमार मंटू सिंह की मोटरसाइकिल थी। अभियुक्त ने मोटरसाइकिल मुखिया जी के दरवाजे पर खड़ी कर दी और भाग गया।

अग्रेतर, उक्त गवाह से जिरह के दौरान, उन्होंने विशेष रूप से कहा कि शूटर ने सामने से गोली चलाई। गोलीबारी के समय उनकी गाड़ी को रोक दिया गया था। अभियुक्तों ने अपनी गाड़ी खड़ी करने के बाद भी गोली चला दी। अभियुक्त की उससे या उसके चाचा से कोई दुश्मनी नहीं थी। इस प्रकार, सूचक (अ.सा. 6) ने विशेष रूप से घटना के तरीके का वर्णन और वर्णन किया है। इसके अलावा, मृतक के भतीजे अ.सा. 1 ने विनोद कुमार और तारकेश्वर सिंह के बीच दुश्मनी के बारे में भी बताया है। अ.सा. 2 ने यह भी कहा है कि गोलीबारी की आवाज सुनने के बाद वह तुरंत मौके पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि मृतक सड़क पर पड़ा हुआ था और वर्तमान अपीलार्थी ने गोली चला दी। अभियोजन पक्ष के अन्य गवाह भी घटना स्थल पर पहुंचे। इस प्रकार, उन्होंने सूचक /चश्मदीद गवाह द्वारा दिए गए संस्करण का भी समर्थन किया है।

22.1. अ.सा. 7, डॉ. कृष्ण चंद्र द्वारा दिए गए बयान से पता चलता है कि मृतक के शव पर दो घाव पाए गए थे। हालांकि, जिरह के दौरान, उक्त गवाह ने विशेष रूप से कहा है कि हालांकि उसने प्रवेश घाव और निकास घाव के बारे में नहीं लिखा है, लेकिन दोनों घाव मौजूद थे, इसलिए, अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा लिया गया तर्क कि कोई निकास घाव नहीं था, गलत धारणा है।

22.2. जाँच अधिकारी के बयान से यह भी पता चलता है कि उसे घटना स्थल पर खून मिला था और उसके द्वारा उस जगह एक खाली कारतुस जब्त किया गया था। यह सच है कि उक्त गवाह ने स्वीकार किया है कि उसने मृतक और मुखबिर की खून से सनी मिट्टी या कपड़े जब्त नहीं किए हैं। यह भी सच है कि उक्त जांच अधिकारी ने उन दो मोटरसाइकिलों को जब्त नहीं किया है जिनका उल्लेख सूचक ने प्राथमिकी में किया है। तथापि, केवल इसलिए कि जाँच करते समय जाँच अधिकारी की ओर से कुछ खामियाँ हैं, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, इसका लाभ अपीलार्थी–अभियुक्त को नहीं दिया जा सकता है।

23. इस स्तर पर, हम **करनेल सिंह बनाम मध्यप्रदेश** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को संदर्भित करना चाहेंगे । जिसकी रिपोर्ट **(1995) 5 एस. सी. सी. 518** में की गई है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ–5 में निम्नलिखित टिप्पणी की हैः

> **5.** जाँच की प्रकृति के बारे में हमारी नाखुशी के बावजूद, हमें इस बात पर विचार करना होगा कि क्या अभिलेख पर साक्ष्य, कड़ी जाँच पर भी, अपराध को स्थापित करता है। दोषपूर्ण जाँच के मामलों में अदालत को साक्ष्य का मूल्यांकन करने में सावधानी बरतनी होती है, लेकिन केवल त्रुटी के कारण किसी अभियुक्त व्यक्ति को बरी करना सही नहीं होगा; ऐसा करना जाँच अधिकारी के हाथों में खेलने के समान होगा यदि जाँच योजनाबद्ध रूप से दोषपूर्ण है। अभियोजक के साथ–साथ अभियुक्त के लिए

निष्पक्षता में कोई भी जांच अधिकारी दो गवाहों के बयान दर्ज करता और 'चड्डी' के संबंध में एक उचित जब्ती–ज्ञापन तैयार करता। यही कारण है कि हमने कहा है कि जांच गलत और दोषपूर्ण थी।

24. **धनज सिंह उर्फ शेरा एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य** के मामले में, **(2004) 3 एससीसी 654** में रिपोर्ट किया गया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ–5 और 8 में निम्नानुसार टिप्पणी की है:–

> **5.** दोषपूर्ण जाँच के मामले में अदालत को साक्ष्य का मूल्यांकन करने में सावधानी बरतनी होती है। लेकिन किसी अभियुक्त व्यक्ति को केवल त्रुटी के कारण बरी करना सही नहीं होगा; ऐसा करना जांच अधिकारी के हाथों में खेलने के समान होगा यदि जांच योजनाबद्ध रूप से दोषपूर्ण है। *(करनेल सिंह बनाम एम. पी. राज्य के मामले को देखें)*
>
> **8.** अपीलकर्ताओं का पक्ष मुख्यतः साक्ष्य की स्वीकार्यता से संबंधित है। यदि जांच दोषपूर्ण भी है, तो ऊपर बताए गए कानूनी सिद्धांतों के अनुसार, जब प्रत्यक्ष साक्ष्य विश्वसनीय और ठोस पाए जाते हैं, तो यह महत्वहीन हो जाता है। दोषपूर्ण जांच की पृष्ठभूमि में हमले के हथियारों या छर्रों आदि की जांच न किए जाने के आगे के प्रभाव पर *अमर सिंह* मामले में विचार किया गया है। इस मामले में, महत्वपूर्ण गवाहों के साक्ष्य में कोई दरार नहीं देखी जा सकती।

25. एक अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय **डक्काटा बलराम रेड्डी एवं अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य** के मामले में एक अन्य निर्णय में रिपोर्ट की गई, **2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 474** में पैराग्राफ–22 में निम्नलिखित टिप्पणी की है:

> **22.** निर्विवाद रूप से अभियोजन पक्ष के मामले में कुछ विसंगतियां और विरोधाभास हैं। घटनाओं के क्रम के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। गवाहों ने अलग–अलग संस्करण दिए। पुलिस को आगमन के समय का और उन्होंने क्या देखा और क्या कहा। पीडब्लू–1 के बयान की कोई पुष्टि नहीं है कि यह पीडब्लू–7 ही था जिसने उसे आरोपी के घर में प्रवेश करने और बाहर निकलने के बारे में सूचित किया था, क्योंकि पीडब्लू–7 ने इस संबंध में कुछ नहीं कहा था। इसके अलावा, उस समय आरोपी द्वारा पहने गए कपड़ों की बरामदगी भी संदेह में डूबी हुई है। एक संस्करण यह है कि वे तब भी उन्हें पुलिस स्टेशन में पहने हुए थे और उन्हें अन्य कपड़े प्रदान करने के बाद पुलिस ने उन्हें वहां जब्त कर लिया, जबकि दूसरा यह है कि आरोपी 1 ने खून से सने कपड़े अ.सा.–26 को गहने के थैले के साथ सौंप दिए। हालाँकि, समय के साथ गवाहों की गवाही में कुछ मतभेद होने की उम्मीद है कि उन्होंने क्या देखा और क्या कहा। यह ध्यान दिया जाए कि विषय घटना 21.08.2008 की रात को हुई थी और गवाहों के बयान 2015 के उत्तरार्ध में

> विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए थे। किसी भी स्थिति में, जैसा कि पहले ही यहां उल्लेख किया गया है, यह न्यायालय तथ्यात्मक मुद्दों पर बारी–बारी से जांच नहीं करेगा या साक्ष्य की फिर से मूल्यांकन नहीं करेगा, जब तक कि यह सामने नहीं लाया जाता है कि निचली अदालत या उच्च न्यायालय द्वारा साक्ष्य की सराहना में कुछ विकृति है, जिससे न्याय की स्पष्ट विफलता होती है। जाँच या प्रक्रिया में मामूली खामियाँ अपने आप में अभियोजन पक्ष के मामले पर अविश्वास करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। केवल दोषपूर्ण जांच के आधार पर बरी करना चोट पर नमक छिड़कने जैसा होगा। [देखें करनेल सिंह बनाम एम. पी. राज्य ((1995) 5 एस. सी. सी. 518)]

25.1. उपरोक्त निर्णयों से यह कहा जा सकता है कि जांच या प्रक्रिया में छोटी–मोटी खामियां अपने आप में अभियोजन पक्ष के मामले को अविश्वसनीय बनाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। केवल दोषपूर्ण जांच के आधार पर बरी करना चोट पर नमक छिड़कने जैसा होगा। भले ही जांच दोषपूर्ण हो, लेकिन जब आंखों देखी गवाही विश्वसनीय और प्रभावी पाई जाती है, तो उसका महत्व कम हो जाता है।

26. इस प्रकार, उपर्युक्त साक्ष्य से यह कहा जा सकता है कि पी.डब्लू.6, मुखबिर, प्रत्यक्षदर्शी है। प्रत्यक्षदर्शी की एकमात्र गवाही पर भरोसा करते हुए, किसी भी पुष्टि के अभाव में भी दोषसिद्धि दर्ज की जा सकती है। हालांकि, न्यायालय को यह संतुष्ट होना होगा कि उक्त गवाह विश्वसनीय है और उसका बयान विश्वसनीय है। यदि ऐसे गवाह का बयान उत्कृष्ट गुणवत्ता का है या यदि वह एक उत्कृष्ट गवाह है, तो ऐसे गवाह पर भरोसा करते हुए दोषसिद्धि दर्ज की जा सकती है। इस स्तर पर, हम **तकदीर समसुद्दीन शेख बनाम गुजरात राज्य और अन्य** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का उल्लेख करना चाहेंगे, **(2011) 10 एससीसी 158** में रिपोर्ट किया गया, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ–13(ii) में निम्नानुसार टिप्पणी की है:–

> (ii) इस न्यायालय ने लगातार माना है कि सामान्य नियम के रूप में न्यायालय एक गवाह की गवाही पर कार्य कर सकता है और कर सकता है बशर्ते वह पूरी तरह विश्वसनीय हो। एक गवाह की गवाही के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 134 का तर्क यही है। लेकिन अगर गवाही के बारे में संदेह है, तो न्यायालय पुष्टि पर जोर देगा। वास्तव में, संख्या या मात्रा नहीं बल्कि गुणवत्ता महत्वपूर्ण है। समय–सम्मानित सिद्धांत यह है कि साक्ष्य को तौला जाना चाहिए, गिना नहीं जाना चाहिए। परीक्षण यह है कि क्या साक्ष्य में सत्यता है, क्या वह ठोस, विश्वसनीय और भरोसेमंद है या नहीं। कानूनी प्रणाली ने गवाहों की मात्रा,

बहुलता या बहुलता के बजाय साक्ष्य के मूल्य, वजन और गुणवत्ता पर जोर दिया है। इसलिए, एक सक्षम न्यायालय के लिए पूरी तरह से एक अकेले गवाह पर भरोसा करना और दोषसिद्धि दर्ज करना खुला है। इसके विपरीत, यदि वह साक्ष्य की गुणवत्ता से संतुष्ट नहीं है तो वह कई गवाहों की गवाही के बावजूद आरोपी को बरी कर सकता है। [देखें वडिवेलु थेवर बनाम मद्रास राज्य, सुनील कुमार बनाम राज्य (दिल्ली सरकार), नामदेव बनाम महाराष्ट्र राज्य और बिपिन कुमार मंडल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य]

27. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **राय संदीप उर्फ दीपू बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) के मामले में, (2012) 8 एससीसी 21** में रिपोर्ट किया गया, पैराग्राफ–22 में निम्नानुसार टिप्पणी की है:

22. हमारी राय में, "उत्कृष्ट गवाह" बहुत उच्च गुणवत्ता और क्षमता का होना चाहिए, जिसका कथन, इसलिए, अप्रतिरोध्य होना चाहिए। ऐसे गवाह के कथन पर विचार करने वाली अदालत को बिना किसी हिचकिचाहट के इसे उसके अंकित मूल्य पर स्वीकार करने की स्थिति में होना चाहिए। ऐसे गवाह की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए, गवाह की स्थिति महत्वहीन होगी और जो प्रासंगिक होगा वह ऐसे गवाह द्वारा दिए गए बयान की सत्यता है। जो अधिक प्रासंगिक होगा वह बयान की शुरुआत से लेकर अंत तक, यानी उस समय जब गवाह प्रारंभिक बयान देता है और अंततः अदालत के समक्ष बयान देता है, एकरूपता होगी। यह स्वाभाविक होना चाहिए और अभियुक्त के रूप में अभियोजन पक्ष के मामले के अनुरूप होना चाहिए। ऐसे गवाह के कथन में कोई झूठ नहीं होना चाहिए। गवाह को किसी भी लम्बाई और कितनी भी कठिन जिरह का सामना करने की स्थिति में होना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में घटना के तथ्य, इसमें शामिल व्यक्तियों और इसके अनुक्रम के बारे में किसी भी संदेह की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इस तरह के बयान का अन्य सहायक सामग्री जैसे बरामदगी, इस्तेमाल किए गए हथियार, अपराध का तरीका, वैज्ञानिक साक्ष्य और विशेषज्ञ की राय के साथ सह–संबंध होना चाहिए। उक्त बयान को हर दूसरे गवाह के बयान से लगातार मेल खाना चाहिए। यह भी कहा जा सकता है कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में लागू किए जाने वाले परीक्षण के समान होना चाहिए, जहां परिस्थितियों की श्रृंखला में कोई भी ऐसी कड़ी नहीं होनी चाहिए जो आरोपी को उसके खिलाफ कथित अपराध का दोषी ठहराए। केवल तभी जब ऐसे गवाह का बयान उपरोक्त परीक्षण के साथ–साथ लागू किए जाने वाले अन्य सभी समान परीक्षणों को भी उत्तीर्ण करता है, तब यह माना जा सकता है कि ऐसे गवाह को "उत्कृष्ट गवाह" कहा जा सकता है, जिसका बयान अदालत द्वारा बिना किसी पुष्टि के

स्वीकार किया जा सकता है और जिसके आधार पर दोषी को दंडित किया जा सकता है। अधिक सटीक रूप से, अपराध के मूल स्पेक्ट्रम पर उक्त गवाह का बयान बरकरार रहना चाहिए, जबकि अन्य सभी सहायक सामग्री, अर्थात् मौखिक, दस्तावेजी और भौतिक वस्तुएं भौतिक विवरणों में उक्त बयान से मेल खानी चाहिए ताकि अपराध की सुनवाई करने वाली अदालत को अपराधी को आरोपित आरोप का दोषी ठहराने के लिए अन्य सहायक सामग्रियों को छानने के लिए मूल बयान पर भरोसा करने में सक्षम बनाया जा सके।

28. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **फूल सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में एक अन्य निर्णय में, (2022) 2 एससीसी 74** में रिपोर्ट किया है, पैराग्राफ–9 और 10 में निम्नानुसार टिप्पणी की है:–

9. पंकज चौधरी [राज्य (एनसीटी दिल्ली) बनाम पंकज चौधरी, (2019) 11 एससीसी 575: (2019) 4 एससीसी (क्रि) 264] में, यह देखा गया है और माना गया है कि एक सामान्य नियम के रूप में, यदि विश्वसनीय है, तो अभियुक्त की सजा बिना किसी पुष्टि के, एकमात्र गवाही पर आधारित हो सकती है। यह आगे देखा गया है और माना गया है कि अभियोजन पक्ष की एकमात्र गवाही पर अदालत को केवल धारणाओं और अनुमानों के आधार पर संदेह नहीं करना चाहिए। पैरा 29 में, यह देखा गया है और माना गया है: (एससीसी पृष्ठ 587)

> "29. अब यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोक्ता की एकमात्र गवाही के आधार पर दोषसिद्धि कायम रखी जा सकती है, यदि वह विश्वास जगाती है। [विष्णु बनाम महाराष्ट्र राज्य]। इस न्यायालय के निर्णयों की श्रृंखला द्वारा यह सुस्थापित है कि विधि या व्यवहार का कोई नियम नहीं है कि अभियोक्ता के साक्ष्य पर पुष्टि के बिना भरोसा नहीं किया जा सकता है और इस प्रकार यह निर्धारित किया गया है कि बलात्कार के मामले में दोषसिद्धि के लिए पुष्टि अनिवार्य नहीं है। यदि पीड़िता के साक्ष्य में कोई बुनियादी कमी नहीं है और "संभावना कारक" उसे विश्वास के अयोग्य नहीं बनाता है, तो सामान्य नियम के रूप में, चिकित्सा साक्ष्य के अलावा पुष्टि पर जोर देने का कोई कारण नहीं है, जहां मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, चिकित्सा साक्ष्य के आने की उम्मीद की जा सकती है। [राजस्थान राज्य बनाम एन.के.]।"

10. शाम सिंह बनाम हरियाणा राज्य [शाम सिंह बनाम हरियाणा राज्य] में यह देखा गया है कि पीड़िता की गवाही महत्वपूर्ण है और जब तक ऐसे बाध्यकारी कारण न हों जो उसके बयान की पुष्टि की तलाश करना आवश्यक बनाते हों, अदालतों को यौन उत्पीड़न की पीड़िता की गवाही के आधार पर अकेले आरोपी को दोषी ठहराने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, जहां उसकी गवाही विश्वास पैदा करती है और विश्वसनीय पाई जाती है। यह भी देखा गया है कि ऐसे मामलों में, एक नियम के रूप में, उस पर भरोसा करने से पहले उसके बयान की पुष्टि की मांग करना चोट पर अपमान जोड़ने के बराबर है। पैरा 6 और 7 में, यह देखा गया है और निम्नानुसार माना गया है: (एससीसी पृष्ठ 37–38)

> "*6.* हम जानते हैं कि बलात्कार के आरोप में अभियुक्त पर मुकदमा चलाते समय न्यायालयों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उन्हें ऐसे मामलों को अत्यंत संवेदनशीलता के साथ निपटाना चाहिए। न्यायालयों को मामले की व्यापक संभावनाओं की जांच करनी चाहिए और अभियोक्ता के बयान में मामूली विरोधाभासों या महत्वहीन विसंगतियों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, जो घातक प्रकृति के नहीं हैं, अन्यथा विश्वसनीय अभियोजन मामले को खारिज करने के लिए। यदि अभियोक्ता के साक्ष्य से विश्वास पैदा होता है, तो भौतिक विवरणों में उसके बयान की पुष्टि किए बिना उस पर भरोसा किया जाना चाहिए। यदि किसी कारण से न्यायालय को उसकी गवाही पर अंतर्निहित भरोसा करना मुश्किल लगता है, तो वह ऐसे साक्ष्य की तलाश कर सकता है जो उसकी गवाही को आश्वस्त कर सके, साथी के मामले में आवश्यक पुष्टि के अलावा। अभियोक्ता की गवाही को पूरे मामले की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए और न्यायालय को अपनी जिम्मेदारी के प्रति सजग होना चाहिए और मामले की सुनवाई करते समय संवेदनशील होना चाहिए। यौन उत्पीड़न या यौन हमलों से जुड़े मामलों से निपटना। [*पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह* (एससीसी पृष्ठ 403, पैरा 21) देखें।]
>
> 7. यह भी अब तक तय हो चुका है कि साक्ष्यों का मूल्यांकन करते समय न्यायालयों को इस तथ्य के प्रति सजग रहना चाहिए कि बलात्कार के मामले में कोई भी स्वाभिमानी महिला न्यायालय में सिर्फ अपने सम्मान के विरुद्ध अपमानजनक बयान देने के

> लिए नहीं आएगी, जैसे कि उसके साथ बलात्कार किया गया हो। यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों में, अभियोजन पक्ष के मामले की सत्यता पर कोई भौतिक प्रभाव न डालने वाले या अभियोक्ता के बयान में विसंगतियों को, जब तक कि विसंगतियां ऐसी न हों जो घातक प्रकृति की हों, अन्यथा विश्वसनीय अभियोजन पक्ष के मामले को खारिज करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। महिलाओं की अंतर्निहित शर्मीली प्रवृत्ति और यौन आक्रामकता के आक्रोश को छिपाने की प्रवृत्ति ऐसे कारक हैं जिन्हें न्यायालयों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसे मामलों में पीड़िता की गवाही महत्वपूर्ण होती है और जब तक ऐसे बाध्यकारी कारण न हों, जिनके लिए उसके बयान की पुष्टि की आवश्यकता हो, अदालतों को किसी आरोपी को दोषी ठहराने के लिए यौन उत्पीड़न की पीड़िता की गवाही के आधार पर कार्रवाई करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, जहां उसकी गवाही विश्वास पैदा करती है और विश्वसनीय पाई जाती है। ऐसे मामलों में, उस पर भरोसा करने से पहले उसके बयान की पुष्टि की मांग करना, एक नियम के रूप में, चोट पर नमक छिड़कने के समान है। (*रंजीत हजारिका बनाम असम राज्य* देखें।)

28.1. इस प्रकार, उपर्युक्त निर्णयों से यह कहा जा सकता है कि सामान्य नियम के रूप में न्यायालय एक गवाह की गवाही पर कार्य कर सकता है और कर सकता है बशर्ते वह पूरी तरह से विश्वसनीय हो। परीक्षण यह है कि क्या साक्ष्य में सत्यता है, वह ठोस, विश्वसनीय और भरोसेमंद है या नहीं। इस प्रकार, एक सक्षम न्यायालय के लिए यह पूरी तरह से खुला है कि वह एक अकेले गवाह पर पूरी तरह से भरोसा करे और दोषसिद्धि दर्ज करे।

29. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, यदि वर्तमान मामले के तथ्यों और साक्ष्यों की, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, सावधानीपूर्वक जांच की जाती है, तो हमारा मानना है कि पी.डब्लू. 6 द्वारा दिया गया बयान विश्वसनीय है और कहा जा सकता है कि वह एक उत्कृष्ट गवाह है, इसलिए हम संतुष्ट हैं कि उक्त गवाह का बयान स्वीकार किया जा सकता है। इसके अलावा, वर्तमान मामले में, चिकित्सा साक्ष्य भी मुखबिर/चश्मदीद गवाह द्वारा दिए गए बयान का समर्थन करते हैं और अन्य अभियोजन पक्ष के गवाहों ने भी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है, इसलिए हमारा मानना

है कि ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता के खिलाफ दोषसिद्धि और सजा का फैसला दर्ज करते समय कोई त्रुटि नहीं की है।

24. तदनुसार, याचिका खारिज की जाती है।

(विपुल एम. पंचोली, न्यायमूर्ति)

(रमेश चंद मालवीय, न्यायमूर्ति)

संजय/–

खंडन (डिस्क्लेमर)– स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।